


समुचित सरकार -सह - उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद
(भू-अर्जन शाखा)


ज्ञापांक-१५२/भू०अ० दिनांक २८.०९/२०१७

अधिसूचना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टासरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए झरिया अंचल अन्तर्गत मौजा-टासरा, थाना संख्या-168 में रकबा 81.536 एकड़ रैयती भूमि का भू-अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुरूप भू-अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित / प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन योजना के अनुमोदन एवं कार्ययोजना के निर्धारण तथा भूमि से संलग्न भवन और स्थावर सम्पतियों के बाजार मूल्य अवधार करने में विलम्ब होने के कारण अधिनियम के धारा 11(1) के अन्तर्गत निर्गत प्रारंभिक अधिसूचना संख्या-736 दिनांक 29.09.2015 से वर्ष में अर्थात् दिनांक 28.09.2016 तक धारा-19 के अन्तर्गत अधिघोषण की स्वीकृति संभव नहीं है । पुनः कार्यालय के ज्ञापांक-1031/भू०अर्जन दिनांक 28.09.2016 के द्वारा एक वर्ष की अवधि विस्तार किया गया था । अर्जनाधीन क्षेत्र में संरचनाओं के मूल्यांकन का कार्य लंबित रहने के कारण पुनः अवधि विस्तार की आवश्यकता है ।

अतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टासरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए झरिया अंचल अन्तर्गत मौजा - टासरा, थाना नं० 168 में रकबा 81.536 एकड़ रैयती भूमि का भू-अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 में प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के धारा 19(i) के अन्तर्गत अधिघोषण हेतु दिनांक 29.09.2017 से 28.09.2018 तक एक वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान कियका जाता है ।


28/9/17
जि. भू. अ. पक्ष


28/9/17
समुचित सरकार
सह
उपायुक्त, धनबाद

समुचित सरकार -सह - उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद
(भू-अर्जन शाखा)


ज्ञापांक-९५३/भू०अ० दिनांक २८.०९/२०१७

अधिसूचना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टासरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए झरिया अंचल अन्तर्गत मौजा-रोहड़ाबांध, थाना संख्या-169 में रकबा 143.08 एकड़ रैयती भूमि का भू-अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुरूप भू-अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित / प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन योजना के अनुमोदन एवं कार्ययोजना के निर्धारण तथा भूमि से संलग्न भवन और स्थावर सम्पत्तियों के बाजार मूल्य अवधार करने में विलम्ब होने के कारण अधिनियम के धारा 11(1) के अन्तर्गत निर्गत प्रारंभिक अधिसूचना संख्या-737 दिनांक 29.09.2015 से वर्ष में अर्थात् दिनांक 28.09.2016 तक धारा-19 के अन्तर्गत अधिघोषण की स्वीकृति संभव नहीं है । पुनः कार्यालय के ज्ञापांक-1032/भू०अर्जन दिनांक 28.09.2016 के द्वारा एक वर्ष की अवधि विस्तार किया गया था । अर्जनाधीन क्षेत्र में संरचनाओं के मूल्यांकन का कार्य लंबित रहने के कारण पुनः अवधि विस्तार की आवश्यकता है ।

अतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टासरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए झरिया अंचल अन्तर्गत मौजा - रोहड़ाबांध, थाना नं० 169 में रकबा 143.08 एकड़ रैयती भूमि का भू-अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 में प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के धारा 19(i) के अन्तर्गत अधिघोषण हेतु दिनांक 29.09.2017 से 28.09.2018 तक एक वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान कियका जाता है ।


28/9/17


समुचित सरकार
सह
उपायुक्त, धनबाद